F.No. NCBC/06/08/35/2019-CP

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसंधान अनुभाग

सुनवाई के कार्यवृत

1. श्री नरेश साहनी द्वारा प्राप्त शिकायत में रेलवे रैक पॉइंट से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से आस पास रहने वाले लोगो के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष, डॉ. भगवान लाल साहनी एवं श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 में दिनाँक 28.01.2021 समय 03: 00 बजे सुनवाई नियत की गयी। सुनवाई मे उपस्थित अधिकारियों की सूची अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है।
2. शिकायतकर्ता द्वारा आयोग को यह अवगत करवाया गया कि नरकटियागंज रेल खंड के मध्य स्थित महवल रेलवे स्टेशन पर चल रहे रेल रैक पॉइंट से स्टोन चिप्स ट्रैक्टर द्वारा ढूलाई कर आस पास सड़क के किनारे खुले में जमा कर रखा जाता है और भंडारण किए गए स्टोन चिप्स को खुदरा ग्राहकों को बेचा जाता है इस प्रकार के क्रियाकलाप के दौरान ट्रैक्टर में स्टोन चिप्स के लोडिंग/अनलोडिंग करने से धूल कण का उत्सर्जन होता है, जिसकी रोकथाम हेतु कोई उपाय नहीं किया गया है जिसकी वजह से आस पास रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एवं अभी तक कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है।
3. आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री कौशलेन्द्र सिंह, माननीय सदस्य, रेलवे की ओर से उपस्थित अधिकारियों एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार सरकार की ओर से उपस्थित अधिकारी के मध्य रेलवे रैक पॉइंट की वजह से हो रहे प्रदूषण के संबंध में चर्चा हुई।
4. जिसके संबंध में डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष एवं श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य ने रेलवे की ओर से उपस्तिथ अधिकारियों एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार सरकार की ओर से उपस्थित अधिकारी से की गई कार्यवाही के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे जिसके बारे में उपस्थित अधिकारियों ने उचित जबाव नहीं दिए।
5. समस्त पक्षों पर ध्यान पूर्वक चर्चा होने के पश्चात् डॉ. भगवान लाल सहनी, माननीय अध्यक्ष एवं श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य ने यह निर्णय लिया कि निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर आयोग के समक्ष शपथ पत्र पर 5 दिवस के भीतर उपलब्ध करवाए जाए।

1. मिनरल भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति संबंधित खनन कार्यालय से प्राप्त किए बगैर, साथ ही वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था हेतु भंडारण क्षेत्र के चारों ओर 12 फीट ऊंची चारदीवारी, जल छिड़काव की व्यवस्था, यातायात हेतु पहुंचपथ का ब्रिक्स सोलिंग/पक्कीकरण एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था किए बगैर, उत्तरदायी व्यापारी को उपरोक्त गतिविधि करने के लिए अवैधानिक तरीके से अनुमति क्यों प्रदान की गई?
2. जब दिनांक 14 अगस्त 2020 को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रेलवे साइडिंग महवल, मुजफ्फरपुर में अपने भौतिक निरीक्षण के दौरान वायु गुणवत्ता परिणाम निर्धारित मानक से अधिक पाए जाने की पुष्टि कर दी गई थी, तो फिर पर्यावरण अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में रेलवे प्रबंधन द्वारा टाइम बाउंड एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इससे संबंधित जानकारी आयोग के समक्ष 05 दिवस के भीतर प्रस्तुत कीजिए।
3. क्या यह सही है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बिहार सरकार ने अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड भारत सरकार नई दिल्ली को यह जानकारी दी थी कि रेलवे साइडिंग महवल , मुजफ्फरपुर में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 का उल्लंघन हो रहा है और रेलवे बोर्ड से रेलवे साइडिंग महवल , मुजफ्फरपुर में वायु व जल प्रदूषण आदि के रोकथाम के लिए कानूनन कार्यवाही के लिए आग्रह किया था, यदि हां, तो संबंधी कृत कार्यवाही सहित मूल पत्रावली माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
4. क्या यह सही है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण की सुरक्षा हेतु किसी उद्योग, प्रक्रिया या परिचालन को बंद, निषिद्ध या विनियमित करने या विधुत या जल या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को बंद या विनियमित करने संबंधी निर्देश जारी करने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत शक्तियां प्राप्त है; यदि हां, तो उल्लेखित उपबंधो के तहत नरकटियागंज रेलखंड के मध्य स्थित रेलवे स्टेशन पर ठेकेदार द्वारा अवैधानिक तरीके से किए जा रहे गतिविधि के विरुद्ध कार्यवाही ना किए जाने का कारण क्या है? बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि स्पष्ट करें।
5. क्या यह सही है कि रेलवे साइडिंग महवल में उत्सर्जित वायु और धूल प्रदूषण से आसपास के लोग श्वास संबंधी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और वायु व धूल प्रदूषण के कारण श्री

राजदेव साहनी पुत्र श्री दशरथ साहनी की मृत्यु भी हो चुकी है। यदि हां, तो संबंधित ठेकेदार और रेल प्रशासन के विरुद्ध कृत कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

दिनाँक:

स्थान: नई दिल्ली

(डॉ. भगवान लाल साहनी)
माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

F.No. NCBC/06/08/35/2019-CP

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसंधान अनुभाग

सुनवाई के कार्यवृत

अनुलग्नक 'क'

सुनवाई मे उपस्थित अधिकारी
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष
2. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य
3. श्री बी. के. पति, निदेशक
4. श्री दिनेश कुमार, निजी सचिव मा. अध्यक्ष
5. डॉ. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी
6. श्री विश्वेन्द्र, विधि सलाहकार
7. श्री राहुल यादव, विधि सलाहकार

आयोग के समक्ष उपस्थित अधिकारीगण :-

1. श्री शिवेंद्र मोहन, ई. डी., रेलवे
2. श्री रंजीत कुमार सिंह, सी. एल. ए., समस्तीपुर, रेलवे
3. श्री प्रसन्ना कुमार, डी. सी. एम., समस्तीपुर, रेलवे
4. श्री अभिमन्यु सिंह, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार सरकार
5. श्री प्रदीप कुमार, वकील, रेलवे
6. कु. मुक्ता पांडेय, वकील, बी. एस. पी. सी. बी.
7.

उपस्थित शिकायतकर्ता :-

1. श्री नरेश साहनी
2. श्री अनिल साहनी
3. श्री राम पूजन साहनी